न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर ए एस)
प्रकरण संख्या: 242 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 382)

वादी — बनाम — प्रतिवादीगण

वादी	प्रतिवादीगण
1. नरपाल राम पुत्र मोहन लाल निवासी 49 जी जी ए, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. चमेली देवी पत्नी मोहन लाल निवासी 49 जी जी ए तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. लूणा राम पुत्र मोहन लाल निवासी 49 जी जी ए, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. तुलसा देवी उर्फ किरणा पुत्री मोहन लाल निवासी 49 जी जी ए, तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार तहसील श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 11.12.2024

उपस्थित: 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी
2. श्री रोशन लाल राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

---निर्णय---

दिनांक: 01.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 45 जी जी, पटवार मण्डल 52 जी जी की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 26/26 में कुल 2.5290 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चमेली देवी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की सगी माता है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लृणा राम को बहिस्सा बराबर पारिवारिक सम्पति विभाजन में उनको सुपुर्द की हुई है और पिछले 10-12 वर्षो से उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर कब्जा काश्त है। हालांकि प्रतिवादी संख्या 3 तुलसा देवी उर्फ किरणा विवाहिता है, जिसकी शादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा काफी दान दहेज देकर, उनको ससुराल में भेजा था, तब से लेकर, प्रतिवादी संख्या 3 अपने परिवार के साथ ससुराल में राजी खुशी है। प्रतिवादी संख्या 3 का प्रेम स्नेह वादी एवं उसके परिवार के साथ काफी अच्छा है। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 शांतिपूर्वक कब्जा काश्त अवश्य है, लेकिन वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के परिवार काफी बढ गये है, जिसके कारण पक्षकारो के पूर्व के भांति प्रेम संबंध नही रहे है। अक्सर वादी एवं प्रतिवादीगण छोटी छोटी बातो को लेकर, मतभेद पैदा करते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 अक्सर वादी के साथ छोटी छोटी बातो को लेकर, प्रतिदिन झगडा करती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का प्रेम स्नेह वादी से अलग हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिदिन वादी व उसके परिवार को कहती है कि वह उक्त भूमि में वादी को कोई हक व हिस्सा नही देगी, वह उक्त भूमि का बेचान कर, खुर्द बुर्द कर देगी। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का वारिस है तथा वादी द्वारा ही घर की तमाम सार संभाल की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि के अलावा वादी के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम से दर्ज भूमि का बेचान करती है तो वादी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा और वादी को अपने हक व हिस्सा से वंचित होना पडेगा। इस कारण पारिवारिक बंटवारा के अनुसार प्राप्त भूमि व हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। आज से एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी व उसके परिवार को स्पष्ट धमकी दी कि वह उक्त भूमि का बेचान करना चाहती है तथा वह भूमि का कब्जा जल्द ही मुझे सुपुर्द कर देवे अन्यथा नया खरीददार अपने बल से कब्जा प्राप्त कर लेगा। यही वादहेतुक है। इस कारण वादी के पास हस्तगत प्रकरण पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम चक 45 जी जी, पटवार मण्डल 52 जी जी की चालू जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 26/26 में कुल 2.5290 है0 कृषि भूमि में से वादी को 1/2 हिस्सा का पारिवारिक बंटवारा के अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर, उसका हिस्सानुसार खातेदार घोषित किया जाकर, राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। नकल वादी अधिवक्ता को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिलाई गई। सामिल मिसल किया गया। वादी जसपाल राम व प्रतिवादी चमेली देवी, लूणा राम के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर समझौतानामा पेश किया। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा समझौतानामा पेश किया गया है व प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1, 2 के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 45 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 32, 66/19 की कुल 2.529 हैक्टेयर भूमि में से वादी जसपाल राम पुत्र मोहनलाल को मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 22, 23, 24, 25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.012 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 लूणा राम पुत्र मोहनलाल को मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 16, 17, 18, 19 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6 7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जसपाल राम बनाम चमेली देवी आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर 242/2024

निर्णय दिनांक :- 01.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जांगिड, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री रोशनलाल राठौड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 45 जीजी, पटवार हल्का 52 जीजी गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 32, 66/19 की कुल 2.529 हैक्टेयर भूमि में से वादी जसपाल राम पुत्र मोहनलाल को मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 22, 23, 24, 25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.012 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 लूणा राम पुत्र मोहनलाल को मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 16, 17, 18, 19 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 01.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1504**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 01.01.2025

क्रमांक: रीडर/2024/01

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)